कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला– सिंगरौली (म0प्र0)

E-mail Id:deo.singroli@mpexcise.org

वर्ष 2017–18 के लिये लाटरी एवं टेण्डर के द्वारा देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानो/एकल समूहो के निष्पादन बावत

सिंगरौली, दिनांक–

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2017–18 के लिये अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिले में वर्ष 2016–17 में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्री की दुकानों/एकल समूहो (जिन्हे आगे मदिरा दुकानों/एकल समूहो के नाम सें सम्बोधित किया गया है) का निष्पादन निम्न प्रकिया एवं शर्तो के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जाएगा ।

1. निष्पादन की प्रक्रिया :–

1.1 प्रथमतः वर्ष 2016–17 के मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किये गये है एवं जिन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए है उन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों को परिभाषित करने के लिए उन्हें लॉटरी आवेदन पत्र कहा जायेगा। लाटरी द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहो का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं.	एकल समूह का विवरण				मदिरा दुकान/एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की संख्या		मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 का आरक्षित मूल्य
	नाम	क्रमांक	समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम		देशी	विदेशी	
			देशी	विदेशी			
1	3	4	5	6	7	8	10
1	चदुली SGI एफ–5	SGI एफ–5	0	चंदुली	0	1	41047910
			चदुली	0	1	0	9716182
			सरसवाह	0	1	0	22680731
			सिम्प्लेक्स कालोनी		1	0	4755175
			योग	**0**	**3**	**1**	**78199999**
2	जयन्त SGI एफ–4	SGI एफ–4	0	जयन्त	0	1	36377453
			जयन्त	0	1	0	8435713
			बनौनी	0	1	0	5022082
			योग	0	**2**	**1**	**49835249**
3	बरगंवा SGI एफ–7	SGI एफ–7	0	बरगवा	0	1	26480000
			बरगंवा	0	1	0	17255778
			योग	0	**1**	**1**	**43735778**

4	रजमिलान SGI एफ–8	SGI एफ–8	0	रजमिलान	0	1	21611644
			रजमिलान	0	1	0	8125200
			माडा	0	1	1	5779847
			0	करसुआ	0	0	2816642
			योग	**0**	**2**	**2**	**38333333**
5	सासन SGI एफ–10	SGI एफ–10	0	गासन	0	1	17918439
			सासन	0	1	0	12569339
			योग	**0**	**1**	**1**	**30487778**
6	चितरंगी SGI एफ–12	SGI एफ–12	0	चितरंगी	0	1	10115186
			चितरंगी	0	1	0	7036763
			लमसरई	0	1	0	2386248
			खटाई	0	1	0	1928672
			योग	**0**	**3**	**1**	**21466868**
			महायोग	**0**	**12**	**7**	**262059005**

1.2 वर्ष 2017–18 के लिये नवीनीकरण आवदेन तथा लॉटरी आवदेन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रही मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2017–18 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरुद्ध ई–टेण्डर आमंत्रित कर किया जावेगा।

1.3 जिले में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित करने की दशा में किसी मदिरा दुकान/एकल समूह पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन जिला समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

2. <u>निष्पादन का कार्यक्रम एवं निष्पादन स्थल :–</u>

2.1 नवीनीकरण के आवेदन रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र दिनांक 01 फरवरी 2017 से 08 फरवरी 2017 को सायंकाल 5:30 बजे तक इच्छुक पात्र आवेदकों से अमंत्रित किये जायेंगे।

2.2 नवीनीकरण के लिये प्राप्त आवेदन पत्र एवं इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों का प्रक्रिया अनुसार परीक्षण कर निष्पादन की कार्यवाही संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2017 दिन गुरुवार को सम्पादित की जायेगी। दिनांक 09.02.2017 को निष्पादन से शेष, मदिरा दुकानों/एकल समूहों की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की कार्यवाही ई–टेण्डर द्वारा की जायेगी। दिनांक 14 फरवरी 2017 से 22 फरवरी 2017 को सायंकाल 5:30 बजे तक म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर ई–टेण्डर प्राप्त किये जायेंगे तथा उक्त अवधि में प्राप्त पात्र ई–टेण्डरों की निविदा राशि एवं अन्य अभिलेखों का दिनांक 23 फरवरी 2017 को प्रातः 11.00 बजे से जिला समिति द्वारा परीक्षण किया जाकार मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.3 लॉटरी आदेवन पत्रों तथा ई–टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन निम्नांकित कार्यक्रम (टाइम टेबल) अनुसार, किया जायेगा। नवीनीकरण के माध्यम से/इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां, समय एवं कार्यक्रमः–

क्र.	विवरण	तिथि व समय
1	नवीनीकरण आवेदन के पत्र रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	जिला कार्यालय सिंगरौली से दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक।
2	इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी	जिला कार्यालय सिंगरौली से दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00

	आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक।
		संबंधित संभागीय उपायुक्त आबाकारी कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 07 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक।
		आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेष के मोतीमहल स्थित कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 06 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक। **टीपः– आबकारी आयुक्त/संबंधित उपायुक्त कार्यालय में लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने पर तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे।**
5	नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा इच्छुक प्राप्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एंवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 09 फरवरी 2017 को प्रातः 10:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

ई–टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रमः–

क्र.	विवरण	तिथि व समय
1.	ई–टेण्डर हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 14 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 22 फरवरी 2017 दोपहर 03:00 बजे तक।
2	ऑन–लाईन ई–टेण्डर आफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 22 फरवरी 2017 सायंकाल 05:30 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 23 फरवरी 2017 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

3. निष्पादित की जाने वाली देशी /विदेशी मदिरा दुकानो/एकल समूहो के लाटरी/का आवेदन पत्र एवं नियमों, विकय ज्ञापन, डयूटी दर, खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से **अवकाश के दिनों का छोडकर प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे** तक तथा ई–टेण्डर हेतु दिनांक 14 फरवरी 2017 से नियमों, विकय ज्ञापन, डयूटी दर, खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय **सिंगरौली से अवकाश के दिनों सहित प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक** कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।
4. **टेण्डर प्रपत्र का मूल्य–** वर्ष 2017–18 के लिये लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए **रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार)** प्रभारित किया जायेगा जो जिला आबकारी अधिकारी सिंगरौली के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राप्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा की गई राशि की रसीद प्रस्तुत करना होगा ।
5. **राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गो पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति** –माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील कमांक 12164–12166/2016 में पारित आदेश के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर स्थित देशी मदिरा दुकान नौढिया एवं विदेशी मदिरा दुकान नौढिया व चटका को दिनांक 1.4.2017 से 500 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित होने हेतु जिला समिति द्वारा अनुमोदित दिनांक 12.01.2017 के अनुसार देशी मदिरा दुकान नौढिया को ग्राम समदा एवं विदेशी मदिरा दुकान नौढियां को ग्राम समदा व चटका को झिगुरदा करवाही में आपत्ति रहित स्थल पर स्थान्तरित कर संचालन किया जावेगा ।
6. मुख्य शर्ते/निर्बन्धन/निर्बन्धनो की विस्तृत जानकारी वेबसाईड www.govtpressmp.gov.in से राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित विज्ञप्ति कमांक 27 दिनांक 18 जनवरी 2017 अपलोड कर प्राप्त की जा सकती है । तथा जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से भी कार्यालयीन दिवसों के कार्यालयीन समय में जिले के लिए तैयार घोष विकय शर्त निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है ।

कलेक्टर द्वारा आदेशित

जिला आबकारी अधिकारी
सिंगरौली (म0प्र0)